12—01—2018 आवेदकगण ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा—80(2) व्य0प्र0सं0 प्रस्तुत किया है जो बाद मुंसरिम रिपोर्ट पेश हुआ।

प्रकीर्णवाद के रूप मे ंदर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थनापत्र धारा—80(2) व्य0प्र0सं0 पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक ने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से विपक्षीगण उपजिलाधिकारी, निचलौल, तहसीलदार निचलौल एवं हल्का लेखपाल जो कि लोक सेवक है, के विरूद्ध धारा—80(1) व्य0प्र0सं0 की नोटिस से छूट प्रदान कर वाद संस्थित किये जाने की याचना की गयी है। आवेदकगण के कथनानुसार उनका मकान आराजी सं0 452 में बाप दादा के जमाने से जमीन्दारी विनाश पूर्व से कायम है किन्तु विपक्षीगण विवादित सम्पत्ति से उन्हें बेदखल करने की कोशिश में है और यदि उक्त विपक्षीगण को नोटिस देकर समयावधि के बाद, वाद संस्थित किया जायेगा है तो वाद दाखिल करने का उद्देश्य विफल हो जायेगा और उसकी अपूरणीय क्षति होगी। आवेदकगण ने कथन के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया है। प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में मामला आवश्यक प्रकृति का प्रतीत होता है, अतएव विपक्षीगण उपरोक्त को धारा—80(1) व्य0 प्र0सं0 की नोटिस देने से छूट प्रदान किया जाना न्यायसंगत होगा।

तद्नुसार प्रार्थनापत्र धारा—80(2) व्य0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है और विपक्षीगण पर धारा 80(1) व्य0प्र0सं0 की नोटिस से छूट प्रदान कर वाद संस्थित किये जाने की अनुमति दी जाती है।

प्रकरण मूलवाद के रूप में दर्ज होकर दिनांक 17—01—2018 को पेश हो।

प्रभारी सिविल जज, प्रवर खण्ड,
महराजगंज।